



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ 1939 (श0)
(सं0 पटना 553) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 10/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 83, दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सेकण्ड हैंड माल का क्रय और विक्रय करता है और जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित सेकेण्ड हैंड माल की ऐसी जावक आपूर्ति के मूल्य पर राज्य कर का संदाय करता है, जो कि ऐसे आपूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पुराने माल की राज्यान्तर्गत आपूर्तियां प्राप्त करता है, उक्त बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ०, 84, एस० ओ० 83, दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29th June 2017***Notification No. 10/2017-State Tax (Rate)**

S.O. 83, dated the 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the State tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-10)]

By the order of Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,**Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 553-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>